न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/205/2019	10–12–2019	08–02–2021

01–भयराम पुत्र मंगलराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर।
अपीलान्ट

बनाम

01–हल्का पटवारी बर्डोद तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान।
02–तहसीलदार बहरोड तहसील परिसर बहरोड, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बहरोड दिनांक 27–08–2019 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 02/2019

उपस्थितः–

01. श्री सन्तोष कुमार बंसल –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 27–08–2019 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड के आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ते में से 0.05 हैक्टर रकवा पर से बेदखल करने एवं 20/– रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया, रिकार्ड उपलब्ध नही हुआ। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 96 रकबा 80 ऐयर ग्राम बर्डोद हल्का पटवारी बर्डोद द्वारा दिनांक 28.06.19 को तहत दालत में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के 05 ऐयर पर जोत लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 96 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि पानी की नाली बनी हुई है जिसमें पहाडों का पानी आता था तथा अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नोटिस में वर्णित रकबे या उसकी किसी भी भाग पर नहीं कर रखा है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते की आड में हल्का पटवारी से साज बाज होकर उक्त झूठी रिपोर्ट अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में से रास्ते निकालवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जब कि अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार का कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं किया गया। तहत अदालत द्वारा नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर अपीलान्ट द्वारा तहत

जिला कलक्टर, अलवर

अदालत के समक्ष हाजिर होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया था कि अपीलान्ट की खातेदारी की हाल आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 28 ऐयर, 91 रकबा 32 ऐयर व 117 रकबा 74 ऐयर वाकै ग्राम बर्डोद में स्थित है इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त है तथा रिपोर्ट में वर्णित खसरा नम्बर 96 रकबा 80 ऐयर में गैर मुमकिन रास्ता नही होकर नाली बनी हुई है और ना कभी भी रास्ता नही रहा है ओर ना ही अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के किसी भी रकबे पर अतिक्रमण कर जोत नहीं लगायी है। तहत अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहीं भी अंकित नही कि हाल आराजी खसरा नम्बर 96 का रास्ता कितने फुट चौडा व कितने फुट लम्बा रास्ता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के रास्ते के किसी ओर का रास्ता अपनी आराजी में मिलाया हुआ है उक्त रास्ते की भूमि के पास अन्य कितने काश्तकारों की भूमि लगती है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी दर्ज किया गया है जिस के संबंध में ना तो कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गई तथ ना ही तहत अदालत द्वारा उसके संबंध में केई जॉच की उसके बावजूद भी तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व जो निर्णय पारित किया गया उसमें पश्चातवर्ती के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। पटवारी हल्का ने खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये तहत अदालत को रिपोर्ट पेश की है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है, क्योकिं पूर्व में अपीलान्ट को ना तो बेदखल किया गया है, ना ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्षय है। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्षय, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किए ही मनमाने तरीके से गलत रिपोर्ट पेश की है जिसकी जॉच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14–11–2019 को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल दिनांक 19–11–2019 को प्राप्त हुई। अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी गैर मुमकिन रास्ता की है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 0.80 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता सम्वत् 2076 में पर अतिक्रमण किया हुआ है। आराजी पर अपीलान्ट ने मौके पर जोत लगा रखी है प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ते पर कोई टाईटल अथवा अधिकार सिद्व नहीं होता है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अत अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश के विरूद्ध दिनांक 10–12–2019 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये तहत अदालत को रिपोर्ट पेश की है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत के अपीलाधीन आदेश जो अपील में संलग्न प्रमाणित दस्तावेजात का अवलोकन किया, तहत अदालत के अनुसार अपीलान्ट को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के जारी किया गया है। तहत अदालत की order sheet दिनांक 29.07.19 से 27.8.19 तक अपीलान्ट को नही सुना गया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.7.19 को अपना जवाब तहत अदालत में प्रस्तुत कर दिया। प्रमाणित दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य पेश करने का मौका नही दिया गया। अपीलान्ट को बिना सुनने अपीलीय आदेश पारित करना विधिक अनुरूप उचित नहीं समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट रिमान्ड की जाती है। तहसीलदार बहरोड का निर्णय दिनांक 27–08–2019 को निरस्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट तहसीलदार बहरोड को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जॉच कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के भिजवाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर